(142)

रजिस्ट्री सं० डीएल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 497] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 19, 1997/अग्रहायण 28, 1919
No. 497] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 19, 1997/AGRAHAYANA 28, 1919

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1997

सा.का.नि. 707 (अ).—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब कृषि उधार प्रवर्तन और प्रकीर्ण उपबन्ध (बैंक) अधिनियम, 1978 (1979 का पंजाब अधिनियम सं. 5) का, जैसा वह इस अधिसूचना की तारीख को पंजाब राज्य में प्रवृत्त है, निम्नलिखित उपान्तरणों के अधीन रहते हुए संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ पर विस्तार करती है, अर्थात् :—

उपान्तरण

पंजाब कृषि उधार प्रवर्तन और प्रकीर्ण उपबंध (बैंक) अधिनियम, 1978 (1979 का पंजाब अधिनियम सं. 5) में :—

(1) धारा 1 में, उपधारा (2) और उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) इसका विस्तार संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ पर है ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।";

(2) राज्य सरकार" शब्द जहां कहीं भी आते हैं उनके स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा और ऐसे पारिणामिक परिवर्तन भी किए जाएंगे जो व्याकरण के नियमों द्वारा अपेक्षित हों ।

(3) "यह अधिनियम" शब्दों के स्थान पर, सिवाय धारा 1 की उपधारा (1) के, जहां कहीं भी वे आते हैं, "यह अधिनियम चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र की यथा विस्तारित" शब्द रखे जाएंगे ;

(4) "पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961" शब्द और अंकों के पश्चात्, जहां कहीं भी वे आते हैं "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथा प्रवृत्त" शब्द रखे जाएंगे ;

(5) धारा 2 में, खण्ड (क) को खण्ड (ककक) के रूप में पुन: अक्षरित किया जाएगा और यथा पुनर्अक्षरित खण्ड (ककक) से पूर्व निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(क) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक" अभिप्रेत है।"

(6) धारा 3 में, उपधारा (5) में और धारा 8 की उपधारा (1) में "राज्य सरकार के किसी कर्मचारी" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "चंडीगढ़ प्रशासन का कोई कर्मचारी" शब्द रखे जाएंगे।

(7) धारा 23 में, उपधारा (3) का लोप किया जाएगा ।

उपाबंध

पंजाब कृषि उधार प्रवर्तन और प्रकीर्ण उपबन्ध (बैंक) अधिनियम, 1978

1979 का पंजाब अधिनियम सं. 5

[भारत के राष्ट्रपति की अनुमति तारीख 7 मार्च, 1979 को प्राप्त हुई, और सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पंजाब सरकार के राजपत्र (असाधारण) में तारीख 27 मार्च, 1979 को पहली बार प्रकाशित हुआ]

बैंक और अन्य संस्थागत उधार अभिकरणों के माध्यम से कृषि उत्पादन और विकास के लिए पर्याप्त उधार की सुविधा देने और उससे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के 29वें वर्ष में पंजाब विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो ।

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब कृषि उधार प्रवर्तन और प्रकीर्ण उपबंध (बैंक) अधिनियम, 1978 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में है ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. इस अधिनियम में, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथा विस्तारित, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;

(कक) "कृषि" और "कृषि प्रयोजन" में भूमि को खेती योग्य बनाना, भूमि की खेती, भूमि सुधार जिसमें सिंचाई स्रोतों का विकास प्रोद्भूत करना, फसलों का संरक्षण और उसकी कटाई, उद्यान कृषि, वानिकी, पौध रूपाई और कृषि कार्य, पशु प्रजनन, पशु पालन, दुग्ध उद्योग, बीज कृषि, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, सूअर पालन, कुक्कुट पालन और अन्य ऐसे क्रियाकलाप भी सम्मिलित हैं जो साधारणतया कृषकों, दुग्ध उत्पादकों, पशु प्रजनकों, कुक्कुट पालकों और ऐसे ही क्रिया कलापों में संलग्न अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं, जिसमें कृषि उत्पाद का विपणन, उसका भण्डारण और परिवहन तथा ऐसे क्रियाकलापों के संबंध में उपकरणों और मशीनरी का अर्जन भी सम्मिलित है;

(ख) "कृषक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कृषि कार्यों में लगा है;

(ग) "कृषि उद्योग निगम" से कोई ऐसी कंपनी या अन्य निगमित निकाय अभिप्रेत है जिसके उद्देश्यों में से एक मुख्य उद्देश्य कृषि विकास क्रियाकलापों से संबंधित है या उससे आशयित कार्यों को करना है और जिसकी संदत्त शेयर पूंजी का 51 प्रतिशत से अन्यून केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक सरकारों द्वारा धारित है।

(घ) "बैंक" से—

(i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में यथा परिभाषित कोई बैंककारी कंपनी;

(ii) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक;

(iii) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में यथा परिभाषित कोई समनुषंगी बैंक;

(iv) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की पहली अनुसूची के स्तंभ 2 में उल्लिखित बैंकों में से कोई बैंक;

(v) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 51 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई बैंककारी संस्था;

(vi) कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 के अधीन गठित कृषि पुनर्वित्त निगम;

IndiaCode

(vii) खंड (ग) में यथा परिभाषित कृषि उद्योग निगम;

(viii) कंपनी निगम, 1956 के अधीन निगमित कृषि वित्त निगम लिमिटेड कोई कंपनी;

(ix) प्रशासन द्वारा राजपत्र में अधिसूचित एक बैंक के रूप में चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र को यथाविस्तारित इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कोई अन्य वित्तीय संस्था अभिप्रेत है।

(ङ) "सहकारी सोसाइटी" से पंजाब सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (ग) में यथापरिभाषित सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है, जिसका उद्देश्य इस धारा के खंड (च)में यथा परिभाषित अपने सदस्यों को, जिसमें सहकारी भूमि बंधक बैंक भी सम्मिलित है, वित्तीय सहायता प्रदान करना है;

(च) "वित्तीय सहायता" से ऋण, अग्रिम, प्रतिभूति के रूप में या कृषि प्रयोजन के लिए अन्यथा अभिप्रेत है;

(छ) "रजिस्टर" से पंजाब सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (ञ) में यथापरिभाषित रजिस्ट्रार अभिप्रेत है।

अध्याय 2

कृषि के बैंकों के पक्ष में भूमि पर प्रभार और हित सृजन करने के अधिकार

3. **बैंक के पक्ष में फसल और अन्य जंगम संपत्ति पर प्रभार.**—(1) किसी कृषक के लिए, बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए उस बैंक के पक्ष में अपने स्वामीस्व वाली जंगम संपत्ति या अपने द्वारा उगाई गई, खड़ी हुई या अन्यथा फसलों पर उसमें अपने हित की सीमा तक इस बात के होते हुए भी कि वह उस भूमि का स्वामी नहीं है, जिस पर या जिससे फसल उगाई गई है, प्रभार का सृजन करना विधिपूर्ण होगा।

(2) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथाप्रवृत्त पंजाब सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961 में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के होते हुए भी, किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा किसी कृषक को दी गई वित्तीय सहायता की बाबत किसी प्रभार की, उसके द्वारा उगाई गई खड़ी या अन्यथा या किसी अन्य जंगम संपत्ति पर किसी बैंक द्वारा दी गई वित्तीय सहायता की बाबत फसल के प्रभार पर प्राथमिकता नहीं होगी;

परन्तु यह कि बैंक द्वारा दी गई वित्तीय सहायता—

(क) उस समय से पूर्व की हो जब सहकारी सोसाइटी द्वारा वित्तीय सहायता दी गई थी; और

(ख) कृषकों के निवास के क्षेत्र की सहकारी सोसाइटी या सहकारी सोसाइटियों द्वारा विहित प्ररूप में दिए गए प्रमाणपत्र पर हो;

(3) ऐसे क्षेत्र की सहकारी समिति जहां कृषक भूमिधारी है, उसके द्वारा मांग किए जाने पर उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र जारी करेगी।

(4) रजिस्ट्रार या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, पंजाब सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961 (चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथाप्रवृत्त) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटियों की सूची तैयार करेगा और उसे ऐसे अन्तरालों के पश्चात् जो विहित किया जाए, राजपत्र में प्रकाशित करेगा।

(5) कोई बैंक कर स्थगन कर सकेगा और प्रशासक द्वारा इस निमित्त अधिहित चंडीगढ़ प्रशासन के किसी कर्मचारी के माध्यम से फसल या अन्य उत्पाद या अन्य प्रभारित जंगम संपत्तियों का उनमें कृषक के हित की सीमा तक उस बैंक को विक्रय कर सकेगा और ऐसे विक्रय के आगमों से उस कृषक से बैंक को शोध्य सभी धनों का समायोजन कर सकेगा।

4. **घोषणा द्वारा बैंक के पक्ष में भूमि पर प्रभार का सृजन.**—(1) जहां कोई कृषक भूमि पर या किसी ऐसे स्थावर संपत्ति पर जिसका वह स्वामी है या बैंक द्वारा उसे दी गई किसी वित्तीय सहायता की बाबत उसमें उसका हित है, प्रभार का सृजन करता है वहां वह अनुसूची में उल्लिखित प्ररूप की रीति में या वैसी ही प्रकार जैसी कि परिस्थितियां अनुज्ञा दें, बैंक द्वारा उसे दी गई वित्तीय सहायता की प्रतिभूति में इस बात की घोषणा कर सकेगा कि उसने बैंक के पक्ष में यथास्थिति, ऐसी भूमि पर या ऐसी स्थावर संपत्ति पर या उसमें अपने हित का सृजन किया है।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई घोषणा कृषक द्वारा ऐसे बैंक की सहमति से जिसके पक्ष में घोषणा की गई है, समय-समय पर परिवर्तित की जा सकेगी और ऐसे प्रत्येक परिवर्तन का प्रभाव उसी प्रकार होगा मानो वह मूल घोषणा हो।

अध्याय 3

बैंक के पक्ष में प्रभार और बंधक तथा प्राथमिकताएं

5. **प्रभार और बंधक के सृजन में निर्योग्यता दूर करना.**—चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथाप्रवृत्त पंजाब सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी और इस बात के होते हुए भी कि किसी भूमि या उसमें के हित किसी सहकारी सोसाइटी को पहले से ही प्रभारित या बंधक किया जा चुका है, वहां कृषक द्वारा, कृषक को उस बैंक द्वारा दी गई वित्तीय सहायता के लिए उसके पक्ष में ऐसी भूमि में या उसमें के हित पर प्रभार का सृजन करना या बंधक करना विधिपूर्ण होगा।

6. **सरकारी बैंक और सहकारी सोसाइटी के पक्ष में प्रभारों और बंधकों की प्राथमिकता.**—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी

बात के प्रतिकूल होते हुए भी परन्तु भू राजस्व की बाबत प्रशासक के किसी पूर्व दावे के अधीन रहते हुए,—

(क) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र या यथा विस्तारित इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् प्रशासक या सहकारी सोसाइटी के पक्ष में किसी भूमि पर या उसमें के हित में सृजित प्रभार या बंधक की प्राथमिकता, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथाविस्तारित इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् किसी बैंक द्वारा कृषक को दी गई वित्तीय सहायता की प्रतिभूति के रूप में बैंक के पक्ष में ऐसी भूमि या उसमें के हित पर सृजित किए गए प्रभार या बंधक और प्रशासक या सहकारी सोसाइटी के पक्ष में इससे पहले सृजित किए गए प्रभार या बंधक पर, नहीं होगी;

(ख) किसी बैंक द्वारा किसी कृषक को दी गई वित्तीय सहायता के लिए उस बैंक के पक्ष में किसी भूमि या उसमें हित पर सृजित किसी प्रभार या बंध की प्राथमिकता, इस भूमि में या उसमें हित पर प्रशासक सहकारी सोसाइटी या किसी बैंक से भिन्न बैंक के पक्ष में सृजित प्रभार या बंधक की तारीख से पूर्व किसी व्यक्ति के पक्ष में सृजित किए गए प्रभार या बंधक, पर होगी।

(2) जहाँ उस भूमि या उसमें के हित पर किसी कृषक द्वारा प्रशासक, सहकारी सोसाइटी या बैंक या एक से अधिक बैंकों के पक्ष में विभिन्न प्रभार या बंधक सृजित किए गए हैं वहाँ प्रशासक, सहकारी सोसाइटी या बैंक या बैंकों द्वारा विकास के प्रयोजनों के लिए दिए गए सावधिक ऋण के रूप में दी गई वित्तीय सहायता की प्रतिभूति के लिए सृजित ऐसे प्रभार या बंधक की प्राथमिकता प्रशासक, सहकारी सोसाइटी या किसी बैंक के पक्ष में सृजित अन्य प्रभारों या बंधकों पर होगी, परन्तु यह तब जब कि विकास के प्रयोजनों के लिए सावधिक ऋण के रूप में ऐसी वित्तीय सहायता की पूर्व सूचना प्रशासक, सहकारी सोसाइटी या बैंक को दे दी गई थी और प्रशासक या सहकारी सोसाइटी या बैंक द्वारा ऐसी वित्तीय सहायता की सहमति दी गई हो और जहां सावधिक ऋण के रूप में विकास के प्रयोजनों के लिए वित्तीय सहायता के लिए प्रतिभूति के रूप में एक से अधिक प्रभार या बंधक किए गए हों वहां विकास के प्रयोजनों के लिए सावधिक ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में सृजित प्रभारों या बंधकों को प्राथमिकता उनके सृजन की तारीख के अनुसार होगी।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनों के लिए विकास के प्रयोजनों के लिए सावधिक ऋण से ऐसी वित्तीय सहायता अभिप्रेत है जो साधारणतया कृषि के विकास या कृषि में आस्तियों के जुटाने के लिए है किन्तु इसमें कामकाजी पूंजी को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता, मौसमी कृषि कार्यों और फसलों के विपणन पर व्यय सम्मिलित नहीं है।

(3) इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई बात केवल किसी एक या अधिक सहकारी सोसाइटियों से, जिसमें भूमि बंधक बैंक भी सम्मिलित है, उधार लेने पर लागू नहीं होगी।

7. (1) **उधार लेने वाले कृषक द्वारा अभिधृति सृजन पर निर्बंधन.**—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी ऐसे कृषक ने जिसने स्वयं भूमि या उसमें अपने हित के प्रभार सृजन या बंधक द्वारा किसी बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त की है, जब तक ऐसी वित्तीय सहायता अभी बकाया है, बैंक की लिखित में पूर्व अनुज्ञा के बिना, ऐसी भूमि या इसमें के हित पर कोई पट्टा या अभिधृति अधिकार का सृजन, यदि उसमें बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करते समय पट्टा या अभिधृति अधिकार पहले से ही सृजित नहीं किए हैं, नहीं करेगा।

(2) इस धारा के उल्लंघन में मंजूर किया गया कोई पट्टा या सृजित अभिधृति अधिकार शून्य होंगे।

अध्याय—4

बैंक द्वारा शोध्य की वसूली के लिए इंतजाम

8. **विहित प्राधिकारी के माध्यम से बैंक के शोध्य की वसूली.**— (1) इस धारा के प्रयोजन के लिए प्रशासक द्वारा अधिसूचित चंडीगढ़ प्रशासन का कोई कर्मचारी विहित प्राधिकारी के रूप में बैंक के आवेदन पर किसी कृषक द्वारा ली गई वित्तीय सहायता के मद्दे बैंक की किसी शोध्य रकम के, ऐसी किसी भूमि या उसमें के हित जिस पर ऐसे धन के संदाय के लिए जिसके लिए उसे प्रभारित या बंधक किया गया है, के विक्रय द्वारा संदाय का निदेश देते हुए किसी कृषक या उसके वारिस या विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध आदेश कर सकेगा.—

परन्तु इस धारा के अधीन किसी विहित प्राधिकारी द्वारा किसी ऐसी भूमि या उसमें के हित या किसी ऐसी अन्य स्थावर संपत्ति जिसे धन के संदाय के लिए प्रभारित या बंधक किया गया है यथास्थिति किसी कृषक या उसके वारिस या कृषक के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि शोध्य राशि के संदाय के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा उस पर सूचना तामील न कर दी गई हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी विहित प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश को सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में समझा जाएगा और इसका निष्पादन उसी रीति से किया जाएगा जैसे ऐसे न्यायालय की डिक्री का किया जाता है।

(3) बैंक अपने शोध्य रकम की वसूली के संबंध में प्रशासक को ऐसी फीस का संदाय करेगा जो प्रशासक द्वारा की गई सेवा के लिए विहित की जाए।

(4) इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई बात किसी बैंक को तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्य रीति से अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विवर्जित नहीं करेगा।

9. **किसी स्थावर संपत्ति के अर्जन और निपटान का बैंक का अधिकार:**— (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी बैंक को कृषि भूमि या उसमें के अधिकार या अन्य स्थावर संपत्ति जो उसे किसी वित्तीय सहायता की बाबत किसी कृषक द्वारा प्रभारित या बंधक की गई है, का अर्जन करने की स्वयं की शक्ति होगी। परन्तु यह तब जब उक्त भूमि या उसमें के हित या ऐसी अन्य स्थावर संपत्ति को लोक नीलामी द्वारा विक्रय के लिए रखा गया हो और किसी व्यक्ति ने इसके क्रय के लिए इतनी कीमत प्रस्थापित नहीं की हो जो बैंक को शोध्य धन के संदाय के लिए पर्याप्त हो।

(2) कोई ऐसा बैंक जिसने उपधारा (1) के अधीन उसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसी भूमि या उसमें हित या कोई अन्य स्थावर संपत्ति का अर्जन किया है उसका निपटान प्रशासक द्वारा इस निमित विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विक्रय द्वारा करेगा।

(3) यदि किसी बैंक को उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा अर्जित किसी भूमि को उपधारा (2) में उपदर्शित विक्रय के लंबित रहते हुए पट्टे पर देना है तो पट्टे की अवधि एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और पट्टेदार तत्समय, प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी अन्य प्रतिकूल प्रतिबंध के होते हुए भी उस भूमि में या संपत्ति में किसी हित का अर्जन नहीं करेगा।

अध्याय 5

बैंकों द्वारा सहकारी सोसाइटियों का वित्त पोषण

10. **सहकारी सोसाइटी का सदस्य बनने का पात्र बैंक:**— चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथा प्रवृत्त पंजाब सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी बैंक के लिए किसी सहकारी सोसाइटी का सदस्य होना विधिपूर्ण होगा।

11. **बैंक से उधार लेने की सहकारी सोसाइटी की शक्ति:**— चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथा प्रवृत्त पंजाब सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी सहकारी सोसाइटी के लिए बैंक से उधार लेना विधिपूर्ण होगा।

12. **बैंक द्वारा सहकारी सोसाइटी की बहियों का निरीक्षण:**— (1) बैंक को किसी ऐसी सहकारी सोसाइटी को, जिसने या तो वित्तीय सहायता के लिए बैंक को आवेदन किया है या जो पूर्व में दी गई वित्तीय सहायता के संबंध में बैंक की ऋणी है, बहियों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(2) निरीक्षण, बैंक के किसी अधिकारी या वेतन पाने वाले कर्मचारिवृन्द के किसी अन्य सदस्य द्वारा, रजिस्ट्रार की लिखित पूर्व मंजूरी से किया जा सकेगा।

(3) ऐसा निरीक्षण करने वाला बैंक का अधिकारी या वेतन पाने वाले कर्मचारिवृंद का कोई अन्य सदस्य की, सभी उचित समयों पर, उसके द्वारा निरीक्षण की गई सहकारी सोसाइटी की या उसकी अभिरक्षा में लेखा-बहियों, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी और अन्य संपत्तियों तक पहुंच होगी और ऐसी सोसाइटी द्वारा उसे ऐसी जानकारी, विवरण और विवरणियाँ भी दी जाएंगी, जो उसे दी जाने वाली या पहले से ही दी गई वित्तीय सहायता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से सोसाइटी की वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए उसके द्वारा अपेक्षित की जाए।

13. **बैंक और सहकारी सोसाइटी के बीच विवाद:**— (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सहकारी सोसाइटी का वित्तपोषण करने वाले किसी बैंक और इस प्रकार वित्तपोषित सहकारी सोसाइटी के बीच, सोसाइटी या इसकी समिति द्वारा सोसाइटी के किसी वेतन पाने वाले कर्मचारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित विवादों से भिन्न सहकारी सोसाइटी के गठन, प्रबंध या कारबार से संबंधित कोई विवाद, विवाद के किसी भी पक्षकार द्वारा रजिस्ट्रार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) जहां कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किसी मामले पर उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए विवाद है या नहीं, वहां इस प्रश्न का विनिश्चय रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

14. **विवादों का निपटारा:**— (1) यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि उसे निर्दिष्ट या उसकी जानकारी में लाए गए किसी मामले पर, धारा 13 के अधीनतर्गत कोई विवाद है तो रजिस्ट्रार उस विवाद का स्वयं विनिश्चय करेगा या उसे निपटारे के लिए उसके द्वारा नियुक्त नामनिर्देशिती या नामनिर्देशिती बोर्ड को निर्दिष्ट करेगा।

(2) जहां कोई विवाद उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार के नामनिर्देशिती या नामनिर्देशिती बोर्ड को निर्दिष्ट किया गया है वहां रजिस्ट्रार, किसी भी समय, ऐसे कारणों से, जो लेखाबद्ध किए जाएंगे, उस विवाद को अपने नामनिर्देशिती या नामनिर्देशिती बोर्ड से वापस ले सकता है और विवाद का विनिश्चय स्वयं कर सकता है या उसे पुनः विनिश्चय के लिए उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य नामनिर्देशिती

या नामनिर्देशिती बोर्ड को निर्दिष्ट कर सकता है।

(3) धारा 13 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए, रजिस्ट्रार यदि वह ठीक समझता है, किसी विवाद की बाबत कार्यवाहियों को उस दशा में जब सहकारी सोसाइटी और बैंक के बीच विवाद प्रश्न ऐसा है जिसमें विधि और तथ्य के जटिल प्रश्न अन्तर्वलित है, जब तक रोक सकता है जब तक विवाद के पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार द्वारा संस्थित नियमित वाद में प्रश्न का विचारण नहीं किया गया हो किन्तु यदि रजिस्ट्रार के कार्यवाहियां रोक देने वाले आदेश से दो मास के भीतर ऐसा वाद संस्थित नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्रार उपधारा (1) में यथा उपबंधित कार्रवाई करेगा।

15. **विवादों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया:**— रजिस्ट्रार या उसका नामनिर्देशिती या नामनिर्देशिती बोर्ड धारा 14 के अधीन, रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित विहित रीति में विवादों की सुनवाई करेगा।

16. **रजिस्ट्रार या उसके नामनिर्देशिती या नामनिर्देशिती बोर्ड का विनिश्चय:**— जब विवाद विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया गया है तब रजिस्ट्रार या उसका नामनिर्देशिती या नामनिर्देशिती बोर्ड, विवाद के पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उसके नामनिर्देशिती या नामनिर्देशिती बोर्ड को संदेय कार्यवाहियों और फीस, खर्चों के संबंध में विवाद के पक्षकारों द्वारा उपगत खर्च पर, विवाद के संबंध में अधिनिर्णय दे सकता है । ऐसा कोई अधिनिर्णय मात्र इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगा कि उसे रजिस्ट्रार द्वारा विवाद का विनिश्चय करने के लिए नियत अवधि की समाप्ति के पश्चात् दिया गया है और वह विवाद के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

17. **अधिनिर्णीत धन की वसूली :**— रजिस्ट्रार या उसके नामनिर्देशिती या नामनिर्देशिती बोर्ड द्वारा धारा 16 के अधीन किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय, यदि कार्यान्वित नहीं किया गया है, रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र पर, सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाएगा और उसे उस न्यायालय की डिक्री की तरह तत्समान रीति में निष्पादित किया जाएगा।

18. **सहकारी सोसाइटी के व्यतिक्रमी सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करने की बैंकों की शक्तियां:**—(1) यदि कोई सहकारी सोसाइटी, इसके सदस्यों द्वारा उनसे शोध्य धन के संदाय में व्यतिक्रम करने के कारण, किसी ऐसे बैंक को, जिससे उसने उधार लिया है, उसके ऋण का संदाय करने में असमर्थ है तो बैंक ऐसी सोसाइटी की समिति को यह निदेश दे सकता है कि वह चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथाप्रवृत पंजाब सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961 के अधीन कार्रवाई करके ऐसे सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करें।

(2) बैंक से ऐसे निदेशों की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर यदि सहकारी सोसाइटी की समिति व्यतिक्रम करने वाले अपने ऐसे सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफल रहती है तो बैंक ऐसे व्यतिक्रमी सदस्यों के विरुद्ध स्वयं कार्यवाही कर सकेगा जिसमें चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथा प्रवृत्त पंजाब सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961 उसके अधीन बनाए गए नियम और उपनियम के उपबंध ऐसे लागू होंगे मानो सोसाइटी या उसकी समिति के प्रति सभी निर्देश उक्त उपबंधों, नियमों और उपविधियों के निर्देश बैंक के प्रति थे।

(3) जहां बैंक ने अपनी ऋणी सहकारी सोसाइटी के विरुद्ध कोई डिक्री या अधिनिर्णय प्राप्त कर लिया है वहां बैंक प्रथमत: सोसाइटी की आस्तियों से सोसाइटी के यहां शोध्य ऐसे धन की सीमा तक यथा द्वितीयत: सोसाइटी के सदस्यों से वसूली की कार्यवाही कर सकेगा।

19. **सोसाइटियों की लेखा परीक्षा, जांच या निरीक्षण की रिपोर्ट, बैंक को उपलब्ध कराना:**— रजिस्ट्रार, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त पंजाब सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन की गई ऐसी सोसाइटी की लेखा, परीक्षा जांच या निरीक्षण में पायी गई प्रत्येक त्रुटियों को सहकारी सोसाइटियों का वित्त पोषण करने वाले बैंक की जानकारी में लाएगा और बैंक द्वारा लिखित रूप में मांगे जाने पर ऐसी लेखा परीक्षा जांच या निरीक्षण की रिपोर्ट की जाएंगी।

अध्याय—6

प्रकीर्ण

20. **धन उधार देने और कृषक को ऋण अनुतोष संबंधी विधायन से छूट:**— उधार देने या कृषक ऋण अनुतोष से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की कोई बात किसी ऐसे कृषक को, जिसने बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त की है, लागू नहीं होगी।

21. **संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के प्रबंधकों द्वारा बंधक का निष्पादन करना:**—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथा विस्तारित इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् कृषि के प्रयोजन के लिए किसी बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए किसी संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के प्रबंधक द्वारा बैंक के पक्ष में किया गया बंधक निष्पादन ऐसे संयुक्त कुटुम्ब के सभी सदस्यों पर बाध्यकर होगा;

(2) जहां किसी बैंक के पक्ष में निष्पादित कोई बंधक इस आधार पर प्रश्नगत हो जाता है कि संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के प्रबंधक द्वारा यह बंधक ऐसे प्रयोजन के लिए निष्पादित किया गया है जो इसके सदस्यों पर बाध्यकर नहीं है (चाहे ऐसा सदस्य वयस्क हो गया हो या नहीं) तो इस बात को साबित करने का भार ऐसा अभिकथन करने वाले पक्षकार पर होगा;

22. **केन्द्रीय अधिनियम, 1956 का 32 की उपांतरित धारा 8 को लागू होना:** — हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 8, बैंक के पक्ष में किए गए बंधकों को इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होगी कि उसमें किए गए न्यायालय के प्रतिनिर्देश को कलक्टर या उसके नाम नार्देशिती के प्रति निर्देश समझा जाएगा और कलक्टर या उसके नाम निर्देशिती के आदेश के विरुद्ध अपील आयुक्त को की जाएगी।

23. **नियम बनाने की शक्ति:** — (1) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर यथा विस्तारित इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन क

लिए ऐसी सभी बातें जो आवश्यक या समीचीन हो, का उपबंध करने के लिए प्रशासक नियम बना सकेगा और ऐसे सभी नियमों को राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा;

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियम पूर्व प्रकाशन के अध्यधीन होंगे।

अनुसूची

धारा 4 (1) के अधीन घोषणा

मैं ---------- (आयु ----------) निवासी----------
---------- बैंक से स्वयं वित्तीय सहायता प्राप्त करने की वांछा करता हूँ। चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर यथा विस्तारित पंजाब कृषि उधार प्रवर्तन और प्रकीर्ण उपबंध (बैंक) अधिनियम, 1978 की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षा अनुसार यह घोषणा करता हूँ कि मैं ----------
----------नीचे विनिर्दिष्ट भूमि/अन्य स्थावर सम्पत्ति का स्वामी हूँ। भूमि में अभिधारी के रूप में मेरा हित है, और मैं वित्तीय सहायता जो बैंक दे सकेगा तथा भविष्य में सभी सहायता यदि कोई हो जो बैंक मुझे प्रदान करेगा, ब्याज सहित और उस पर लागत और व्यय प्राप्त करने के लिए उक्त भूमि, अन्य स्थावर सम्पत्ति, भूमि में के हित में प्रभार का सृजन बैंक की पक्ष में करता हूँ।

सम्पदा राजस्व का नाम	तहसील का नाम	जिला का नाम	खसरा सं.	सीमा दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम	क्षेत्र एकड़ में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

विलग्म यदि कोई हो

निर्धारण रुपए पैसे	अनुमानित मूल्य	प्रकृति	रकम	टिप्पण यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

इसके साक्षी के रूप में, मैं ---------- वर्ष एक हजार नौ सौ ---------- के ---------- मास ---------- दिन को ---------- अपना हस्ताक्षर करता हूँ ।

साक्षी की निम्नलिखित की उपस्थिति में उपरोक्त नामित व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित किया एवं सौंपा गया।

1.----------

2. ----------

घोषणा कर्त्ता के हस्ताक्षर

[न. यू. 11015/6/92-यू. टी. एल. (188)]

पी. के. जलाली, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 1997

G.S.R. 707(E).—(E).-- In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Re-organisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Punjab Agricultural Credit Operations and Miscellaneous Provisions (Banks) Act, 1978 (Punjab Act No.5 of 1979), as in force in the State of Punjab on the date of this notification, subject to the following modifications, namely:-

MODIFICATIONS

In the Punjab Agricultural Credit Operations and Miscellaneous Provisions (Banks) Act, 1978 (Punjab Act No.5 of 1979), --

(1) in section 1, for sub-sections (2) and (3), the following sub-sections shall be substituted, namely:-

"(2) It extends to the whole of the Union territory of Chandigarh.

(3) It shall come into force at once.";

(2) for the words "State Government", wherever they occur, the word "Administrator" shall be

IndiaCode

substituted and there shall also be made such consequential changes as the rules of grammar may require;

(3) for the words "this Act", wherever they occur, except in sub-section (1) of section 1, the words "this Act as extended to the Union territory of Chandigarh" shall be substituted;

(4) after the words and figures "the Punjab Co-operative Societies Act, 1961" wherever they occur, the words, "as in force in the Union territory of Chandigarh," shall be inserted;

(5) in section 2, clause (a) shall be relettered as clause (aa) and before clause (aa) as so relettered, the following clause shall be inserted, namely:-

"(a) "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Chandigarh appointed by the President under article 239 of the Constitution";

(6) in section 3, in sub-section (5) and in sub-section (1) of section 8, for the words "an official of the State Government", the words "an official of the Chandigarh Administration" shall respectively be substituted;

(7) in section 23, sub-section (3) shall be omitted.

IndiaCode

3996/61/97-2

ANNEXURE

THE PUNJAB AGRICULTURAL CREDIT OPERATIONS AND MISCELLANEOUS PROVISIONS (BANKS) ACT, 1978

PUNJAB ACT No. 5 of 1979

[Received the assent of the President of India on the 7th March, 1979, and was first publised for general information in the Punjab Government Gazette (Extraordinary), dated the 27th March, 1979.]

AN

ACT

to make provisions to facilitate adequate flow of credit for agricultural production and development through banks and other institutional credit agencies and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER I

Preliminary

1. (1) This Act may be called the Punjab Agricultural Credit Operations and Miscellaneous Provisions (Banks) Act, 1978. Short title extent and commencement.

(2) It extends to the whole of the Union territory of Chandigarh.

(3) It shall come into force at once.

2. In this Act, as extended to the Union territory of

Chandigarh, unless the context otherwise requires,--

(a) "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Chandigarh, appointed by the President under article 239 of the Constitution;

(aa) "agriculture" and "agricultural purpose" shall include making land fit for cultivation, cultivation of land, improvement of land including development of sources of irrigation, raising, protecting and harvesting of crops, horticulture, forestry, planting and farming, cattle breeding, animal husbandry, dairy farming, seed farming, pisciculture, apiculture, sericulture, piggery, poultry farming and such other activities as are generally carried on by agriculturists, dairy farmers, cattle breeders, poultry farmers and other categories of persons engaged in similar activities including marketing of agricultural products, their storage and transport and the acquisition of implements and machinery in connection with any such activity;

(b) "agriculturist" means a person who is engaged in agriculture;

(c) "Agro-Industries Corporation" means a company or other body corporate, one of the principal objectives of which is to undertake activities connected with or intended for the development of agriculture and not less than fifty-one per centum of the paid up share capital of which is held by the Central Government or by any State Government or Governments or partly by the Central Government and partly by one or more State Governments;

(d) "bank" means -

(i) a banking company as defined in the Banking Regulation Act, 1949 ;

(ii) the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955 ;

(iii) a subsidiary bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959 ;

(iv) any of the banks mentioned in column 2 of the First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ;

(v) any banking institution notified by the Central Government under section 51 of the Banking Regulation Act, 1949 ;

(vi) the Agricultural Refinance Corporation constituted under the Agricultural Refinance Corporation Act, 1963 ;

(vii) the Agro-Industries Corporation as defined in clause (c) ;

(viii) the Agricultural Finance Corporation Limited, a company incorporated under the Companies Act, 1956 ; and

(ix) any other financial institution notified by the Administrator in the Official Gazette as a bank for the purposes of this Act as extended to the Union territory of Chandigarh;

(e) "co-operative society" means a co-operative society as defined in clause (c) of section 2 of the Punjab Co-operative Societies Act, 1961, the object of which is to provide financial assistance as defined in clause (f) of this section to its members and includes the co-operative land mortgage bank ;

IndiaCode

(f) "financial assistance" means assistance granted by way of loans, advances, guarantee or otherwise for agricultural purpose;

(g) "Registrar" means the Registrar as defined in clause (j) of section 2 of the Punjab Co-operative Societies Act, 1961.

CHAPTER II

RIGHTS OF AGRICULTURISTS TO CREATE CHARGE ON LAND AND INTERESTS THEREIN IN FAVOUR OF BANKS

Charge on crop and other moveable property in favour of bank.

3. (1) It shall be lawful for an agriculturist to create a charge on the moveable property owned by him or on the crops raised by him, standing or otherwise, to the extent of his interest therein, in favour of a bank, to secure financial assistance from that bank, notwithstanding that he may not be the owner of the land on and from which the crop is raised.

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Punjab Co-operative Societies Act, 1961, as in force in the Union territory of Chandigarh or any other law for the time being in force, no charge in respect of financial asistance extended by a co- operative society to an agriculturist shall have priority over a charge on the crops raised by him, standing or otherwise, or any other moveable property in respect of any financial assistance given to him by a bank :

Provided that the financial assistance made by the bank is --

(a) prior in point of time to that of the financial assistance extended by the co-perative society; and

(b) on a certificate, in the form prescribed, from the

co-operative society or co-operative societies in the area where the agriculturist resides.

(3) A co-operative society in the area where the agriculturist holds land shall on demand by him issue a certificate referred to in sub-section (2).

(4) The Registrar or any other person appointed by him in this behalf shall prepare a list of co-operative societes registered under the Punjab Co-operative Societies Act 1961, as in force in the Union territory of Chandigarh and publish the same in the Official Gazete after such interval as may be prescribed.

(5) A bank may distrain and sell through an official of the Chandigarh Administration designated in this behalf by the Administrator, the crop or other produce or other moveables charged, to that bank to the extent of the agriculturist's interest therein and appropriate the proceeds of such sale towards all moneys due to the bank from that agriculturist.

Creation of charge on land in favour of bank by declaration.

4. (1) Where an agriculturist creates a charge on land, or any other immoveable property which he owns or in which he has an interest in respect of any financial assistance given to him by a bank, he may make a declaration on the lines of the form set out in the Schedule or as near thereto as circumstances permit, declaring that thereby he creates, in favour of the bank, a charge on such land or other immoveable property or his interest therein, as the case may be, to secure the financial assistance given to him by the bank.

(2) A declaration made under sub-section (1) may be varied from time to time by the agriculturist with the consent of the bank in whose favour the declaration has been made and every such variation shall take effect as if it had been an original declaration.

CHAPTER III

CHARGES AND MORTGAGES IN FAVOUR OF BANKS AND THEIR PRIORITIES

Removal of disability in creation of charges and mortgages.

5. Notwithstanding anything to the contrary contained in the Punjab Co-operative Societies Act, 1961 as in force in the Union territory of Chandigarh, or any other law for the time being in force and notwithstanding that any land or interest therein stands already charged or mortgaged to a co-operative society, it shall be lawful for an agriculturist to create a charge or mortgage on such land or interest therein in favour of a bank as security for any financial assistance given to the agriculturist by that bank.

Priority of charges and mortgages in favour of Government, bank and co-operative society.

6. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any law for the time being in force but subject to any prior claim of the Administrator in respect of land revenue,--

(a) no charge or mortgage created on any land or interest therein after the commencement of this Act as extended to the Union territory of Chandigarh in favour of the Administrator or a co-operative society shall have priority over a charge or mortgage on such land or interest created by an agriculturist in favour of a bank as security for financial assistance given to the agriculturist by the bank after the commencement of this Act as extended to the Union territory of Chandigarh and prior to the charge or mortgage in favour of the Administrator or the co-operative society; and

(b) any charge or mortgage created on any land or interest therein in favour of a bank in respect of financial assistance given to an agriculturist by

IndiaCode

that bank shall have priority over any other charge or mortgage that may have been created over such land or interest in favour of any person other than the Administrator, a co-operative society or any other bank, prior to the date on which the charge or mortgage was created in favour of the bank.

(2) Where different charges or mortgages over the same land or interest therein have been created by an agriculturist in favour of the Administrator, a co-operative society or a bank or more than one bank, any such charge or mortgage created as security for financial assistance given by the Administrator, co-operative society or the bank or banks by way of term loans for development purposes shall have priority over the other charges or mortgages created in favour of the Administrator, co-operative society or any of the banks, provided prior notice of any such financial assistance by way of term loan for development purposes had been given to the Administrator, co-operative society or bank and the Administrator, co-operative society or bank has concurred in such financial assistance, and where more than one such charge or mortgage is as security for financial assistance given by way of term loan, the charges or mortgages by way of security for term loan for development purposes will rank for priority in accordance with the dates of their creation.

Explanation.-- For the purposes of this section "term loan for development purposes" shall mean financial assistance which would generally lead to improvement of agriculture or building up of assets in agriculture but shall not include financial assistance for meeting working capital, expenses for seasonal agricultural operations and marketing of crops.

(3) Nothing contained in this section shall apply to borrowings only from one or more co-operative societies

including land mortgage banks.

Restrictions on creation of tenancy by agriculturist borrower.

7. (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, an agriculturist who has availed himself of financial assistance from a bank by creating a charge or mortgage on land or interest therein, shall not, so long as the financial assistance continues to be outstanding, lease or create any tenancy rights on such land or interest therein without prior permission in writing of the bank if he has not already leased or created tenancy rights thereon at the time of availing of the financial assistance from the bank.

(2) Any lease granted or tenancy rights created in contravention of this section shall be void.

CHAPTER IV

ARRANGEMENTS FOR RECOVERY OF DUES BY BANKS

Recovery of dues of banks through prescribed authority.

8. (1) An official of the Chandigarh Administration notified by the Administrator as the prescribed authority for the purpose of this section may, on the application of a bank, make an order against any agriculturist or his heir or legal representative, directing the payment of any sum due to the bank on account of financial assistance availed of by the agriculturist, by the sale of any land or any interest therein upon which the payment of such money is charged or mortgaged :

Provided that no order shall be made by the prescribed authority under this section for the sale of any land or any interest therein or any other immovable property upon which the payment of money is charged or mor tgaged unless the agriculturist or the heir or legal representative of the agriculturist, as the case may be, has been served with a notice by the prescribed authority calling upon him to pay the amounts due.

(2) Every order passed by the prescribed authority under sub-section (1) shall be deemed to be a decree of a civil court and shall be executed in the same manner as a decree of such court.

(3) The bank shall pay to the Administrator such fee as may be prescribed for the services rendered by the Administrator in connection with the recovery of dues of the bank.

(4) Nothing contained in this section shall debar a bank from seeking to enforce its rights in any other manner open to it under any other law for the time being in force.

9. (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, a bank shall have the power to itself acquire agricultural land or interest therein or any other immovable property which has been charged or mortgated to it by an agriculturist in respect of any financial assistance availed of by him, provided the said land or interest therein or any other immovable property has been sought to be sold by public auction and no person has offered to purchase it for a price which is sufficient to pay to the bank the moneys due to it.

(2) A bank which acquires land or interest therein or any other immovable property in exercise of the power vested in it under sub-section (1) shall dispose it of by sale, within a period to be specified by the Administrator in this behalf.

(3) If the bank has to lease out any land acquired by it under sub-section (1), pending sale thereof as indicated in sub-section (2), the period of lease shall not exceed one year at a time and the lessee shall not acquire any interest in that land or property not withstanding any provision to the contrary contained in any other law for the time being in force.

CHAPTER V

FINANCING OF CO-OPERATIVE SOCIETIES BY BANKS.

Bank eligible to become member of co-operative society.

10. Notwithstanding anything contained in the Punjab Co-operative Societies Act, 1961 as in force in the Union territory of Chandigarh or any law for the time being in force, it shall be lawful for a bank to become a member of a co-operative society.

Power of Co-operative societies to borrow from Bank

11. Notwithstanding anything contained in the Punjab Co-operative Societies Act, 1961 as in force in the Union territory of Chandigarh it shall be lawful for any co-operative society to borrow from a bank.

Inspection of books of co-operative society by bank.

12. (1) A bank shall have the right to inspect the books of any co-operative society which has either applied to the bank for financial assistance or is indebted to the bank on account of financial assistance granted earlier.

(2) The inspection may be carried out by an officer or any other member of the paid staff of the bank with the previous sanction in writing of the Registrar.

(3) the officer or any other member of the paid staff of the bank undertaking such inspection, shall, at all reasonable times, have access to the books of accounts, documents, securities, cash and other properties belonging to or in the custody of the co-operative society inspected by him, and shall also be supplied by such society such information, statements and returns as may be required by him to assess the financial condition of the society in order to ensure the safety of financial assistance to be made or already made to it.

Disputes between bank

13. (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, any dispute

touching the constitution, management or the business of a co-operative society, between a bank financing a co-operative society and the co-operative society so financed other than disputes regarding the disciplinary action taken by the society or its committee against a paid employee of the society, shall be referred by either of the parties to the dispute to the Registrar for decision. and co-operative society.

(2) Where any question arises whether, for purposes of sub-section (1), a matter referred to for decision is a dispute or not, the question shall be decided by the Registrar whose decision shall be final.

14. (1) If the Registrar is satisfied that any matter referred to him or brought to his notice is a dispute within the meaning of section 13, the Registrar shall decide the dispute himself or refer it for disposal to the nominee or a board of nominees appointed by him. Settlement of disputes.

(2) Where any dispute is referred under sub-section (1) for decision to the Registrar's nominee or board of nominees, the Registrar may, at any time, for reasons to be recorded in writing, withdraw such dispute from his nominee or board of nominees and may decide the dispute himself or refer it again for decision to any other nominee or board of nominees appointed by him.

(3) Notwithstanding anything contained in section 13, the Registrar may if he thinks fit, suspend proceedings in regard to any dispute if the question at issue between a co-operative society and a bank is one involving complicated questions of law and fact, until the question has been tried in a regular suit instituted by one of the parties to the dispute, but if such suit is not instituted within two months from the Registrar's order suspending proceedings, the Registrar shall take action as is provided in sub-section (1).

15. The Registrar or his nominee or board of nominees

shall hear the dispute under section 14 in the manner prescribed by the Registrar in this behalf. Procedure for hearing of disputes.

16. When the dispute is referred for decision, the Registrar or his nominee or the board of nominees may, after giving a reasonable opportunity to the parties to the dispute to be heard, make an award on the dispute, on the expenses incurred by the parties to the dispute in connection with the proceedings and fees, expenses payable to the Registrar or his nominee or as the case may be to the board of nominees. Such an award shall not be invalid merely on the ground that it was made after the expiry of the period fixed for deciding the dispute by the Registrar and shall be binding on the parties to the dispute. Decision of Registrar or his nominee or board of nominees.

17. Every award given by the Registrar or his nominee or the board of nominees under section 16, shall, if not carried out, on a certificate signed by the Registrar, be deemed to be a decree of a civil court and shall be executed in the same manner as a decree of such court. Recovery of money awarded.

18. (1) If a co-operative society is unable to pay its debts to a bank from which it has borrowed, by reason of its members defaulting, in the payment of the money due by them, the bank may direct the committee of such society to proceed against such members by taking action under the Punjab Co-operative Societies Act, 1961 as in force in the Union territory of Chandigarh. Powers of banks to proceed against defaulting members of co-operative society.

(2) If the committee of the co-operative society fails to proceed against its defaulting members within a period of ninety days from the date of receipt of such directions from the bank, the bank may itself proceed against such defaulting members in which even the provisions of the Punjab Co-operative Societies Act, 1961, as in force in the Union territory of Chandigarh, the rules and bye-laws made thereunder shall apply as if all references to the society or its committee in the said provisions, rules and bye-laws were references to

the bank.

(3) where a bank has obtained a decree or award against a co-operative society indebted to it, the bank may proceed to recover such moneys firstly from the assets of the co-operative society and secondly from the members of the co-operative society to the extent of their debts due to the society.

Audit, Inspection and inquiry reports of societies to be availbale to banks.

19. The Registrar shall draw the attention of the bank financing a co-operative society to the defects noticed in every audit, inquiry or inspection of such society conducted under the provisions of the Punjab Co-operative Societies Act, 1961, as in force in the Union territory of Chandigarh and shall also supply a copy of such audit, inquiry or inspection report, if demanded in writing by the bank.

IndiaCode

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS

Exemption from legislations relating to money-lending and agriculturist's debt relief.

20. Nothing in any law for the time being in force dealing with moneylending or agriculturist's debt relief shall apply to financial assistance availed of by an agriculturist from a bank.

Mortgages executed by managers of Hindu families.

21. (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, mortgages executed after the commencement of this Act as extended to the Union territory of Chandigarh by the manager of a joint Hindu family in favour of a bank for securing financial assistance for an agricultural purpose shall be binding on every member of such Joint Hindu family.

(2) where a mortgage executed in favour of bank is called in question on the ground that it was executed by the manager of a joint Hindu family for a purpose not binding on the members (whether such members have attained majority or not) thereof, the burden of proving

the same shall lie on the party alleging it.

Modified application of section 8 of Central Act 32 of 1956.

22. Section 8 of the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956, shall apply to mortgages in favour of a bank subject to the modification that reference to the court therein shall be construed as reference to the collector or his nominee and the appeal against the order of the Collector or his nominee shall lie to the Commissioner.

Power to make rules.

23. (1) The Administrator may make rules to provide for all matters for which provision is necessary or expedient for the purpose of giving effect to the provisions of this Act as extended to the Union territory of Chandigarh and all such rules shall be published in the Official Gazette.

(2) The rules framed under sub-section (1) shall be subject to previous publication.

IndiaCode

SCHEDULE

Declaration under section 4(1)

I, _____(aged _____ years) residing at _____, being desirous of availing myself of financial assistance from the _____ bank, make this declaration as required by sub-section (1) of section 4 of the PUnjab Agricultural Credit Operations and Miscellaneous Provisions (Banks) Act, 1978 as extended to the Union territory of Chandigarh that I, _____ own land/other immovable property have interest as a tenant in the land specified below, and I hereby create a charge on the said land, other immovable property, interest in land in favour of the bank for securing the financial assistance which the bank may make and for all future assistance, if any, which the bank may make to me together with interest and costs and expenses thereon.

Name of Revenue Estate	Name of Tehsil	Name of District	Khasra Number	Boundaries South, North, East West	Area in Acres
1	2	3	4	5	6

Encumbrances, if any

Assessment Rupees Paise	Approximate Value	Nature	Amount	Remarks, if any
7	8	9	10	11

In witness whereof, I, _____ hereunder set my hand this _____ day of _____ in the year one thousand nine hundred and _____

Witnesses:

Signed and delivered by the above named in the presence of __

1) _____

2) _____ "

Signature of Declarant.

[F. No. U-11015/6/92-UTL (188)]

P. K. JALALI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997

IndiaCode